




राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं० 0141-2221812,
ई-मेल :- pcpndt-rj@nic.in



क्रमांक:राज्य पी. प्रकोष्ठ/एल०ए०/GOI/2020/ 155

दिनांक : 07/04/2020

समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
(जरीये जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी, राजस्थान)।

विषय:- भारत सरकार से प्राप्त गजट अधिसूचना दिनांक 04.04.2010 प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार की गजट अधिसूचना असाधारण, भाग II-2005-3 उपखण्ड (i) सा० का
नि. 237(अ.) दिनांक 04.04.2010 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में भारत सरकार के प्राप्त सन्दर्भित अधिसूचना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचनानुसार पंजीकृत केन्द्रों को सूचित किया जाकर अधिसूचना
अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(संलग्न:-उपरोक्तानुसार।)

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीवीआई)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर महोदय, राजस्थान।
2. समस्त समुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम।
5. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीवीआई)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-3E-04042020-219008
CG-DL-E-04042020-219008

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4, 2020/चैत्र 15, 1942
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4, 2020/CHAITRA 15, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 237(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (निंग चयन का प्रतिरोध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 के उप-खंड (2) के खंड (ivc) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एकदम, महामारी कानून-19 के कारण उत्पन्न होने वाली आपातस्थिति को देखते हुए, जिसके कारण पूरे देश में जांचकाउन लगा दिया गया है, गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (निंग चयन का प्रतिरोध) अधिनियम, 1994 के नियम 8, नियम 9 (8) और नियम 18ए (6) के अनुपालन को 30 जून 2020 तक विस्तारित कर दिया गया है।

महामारी कानून-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व परिदृश्य में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (निंग चयन का प्रतिरोध) नियम, 1994 के नियम 8, नियम 9 (8) और नियम 18ए (6) का अनुपालन मुश्किल हो गया है, जिससे इस अधिसूचना को जारी करने की आवश्यकता की स्थिति बन गई है, जिसका भूतनशी प्रभाव होगा कि जांचकाउन की तारीख में 30 जून 2020 तक।

[का. सं. V.11011/01/2020-पीएनईडी]

डॉ. मनोहर अग्रवाणी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को सा.का.नि. 1 (अ.) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

1678 GI/2020

(I)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2020

G.S.R. 237(E). - In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (2) of section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby suspends, the implementation of Rule 8, Rule 9(8) and Rule 18A(6) of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996 until June 30, 2020, in view of the emergency situation arisen due to pandemic COVID-19, whereby entire country has been put under lockdown.

The unprecedented scenario due to COVID-19 pandemic outbreak has made compliance of Rule 8, Rule 9(8) and Rule 18A (6) of the Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules 1996 difficult, leading to the necessity of issuing this notification, which will have retrospective effect, i.e. from the date of the lockdown, till June 30, 2020.

{F. No. V.11011/01/2020-PNDT}

Dr. MANOHAR AGNANI, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number GSR 1(E) dated the 1st January, 1996.